



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3 नवम्बर, 2009 से जयपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता राजस्थान राज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

S.R.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Jaipur with effect from 3rd day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Rajasthan.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.